राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 85/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लि0, शाखा कार्यालय–केसर मॉल, फर्स्ट फ्लोर, प्लाट नंबर 115–ए, अपेक्स मॉल के सामने, बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर

बनाम

1. श्री सत्य प्रकाश टेलर पुत्र नारायण टेलर निवासी हॉस्पीटल रोड, स्वरूपगंज, माताजी मंदिर के पास, भीलवाड़ा
2. श्रीमती शांति देवी पत्नि नारायण टेलर निवासी हॉस्पीटल रोड, स्वरूपगंज, माताजी मंदिर के पास, भीलवाड़ा
3. श्री नारायण टेलर निवासी हॉस्पीटल रोड, स्वरूपगंज, माताजी मंदिर के पास, भीलवाड़ा

–– प्रार्थी

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री राम सिंह।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 14.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लि0, शाखा कार्यालय–केसर मॉल, फर्स्ट फ्लोर, प्लाट नंबर 115–ए, अपेक्स मॉल के सामने, बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी, जिसमें अप्रार्थी को 13,25,151/– रूपये का ऋण दिनांक 24.02.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – आवासीय सम्पत्ति स्थित स्वरूपगंज तहसील व जिला भीलवाड़ा कुल क्षेत्रफल 25 गुना 50 फीट जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में रामेश्वर शर्मा, पश्चिम में किशन लाल कुम्हार, उत्तर में रोड, दक्षिण में अन्य आराजी स्थित है (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार) को रहन रखा गया। दिनांक 23.07.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 14,29,449.10/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को दिनांक 30.06.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।